"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 240] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई 2018 — आषाढ़ 12, शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई 2018 (आषाढ़ 12, 1940)

क्रमांक-6823/वि. स./विधान/2018. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 9 सन् 2018), जो मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई, 2018 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 9 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2018

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 में, उप-धारा (1) में,-

(एक) खण्ड (ख ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ख ख ख) "परख प्रयोगशाला" से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कारोबार करने योग्य मानकों या ग्रेड पैमाना या किन्हीं अन्य मानकों के अनुरूप गुणवत्ता मानकों की जांच के लिए स्थापित की गई प्रयोगशाला, जैसा कि नियम/उप-विधि/दिशा निर्देश/निर्देश में विहित किया जाये;"

(दो) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

''(ग ग) **''विनियम''** से अभिप्रेत है धारा 81–क के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा बनाया गया विनियम;''

(तीन) खंड (घ घ) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''(घ घ घ) **''संचालक''** से अभिप्रेत है संचालक, कृषि विपणन या कोई ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा, इस अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अधीन संचालक, कृषि विपणन की ऐसी शक्तियों के प्रयोग या कृत्यों के निवर्हन के लिये नियुक्त किया गया हो, जैसा कि अधिसूचना द्वारा विहित किया जाये;''

(चार) खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:

''(च च) कृषि उपज के संबंध में **''प्रत्यक्ष विपणन''** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन मुख्य मंडी प्रागंण, उपमंडी प्रागंण, निजी मंडी प्रागंण के बाहर प्रसंस्करणकर्ता, निर्यातकों, व्यापारियों द्वारा किसानों से कृषि उपज की थोक सीधी खरीदी;

(च च च) **''इलेक्ट्रॉनिक व्यापार''** से अभिप्रेत है पशुधन सहित अधिसूचित कृषि उत्पाद का व्यापार, जिसमें पंजीयन, नीलामी, बिलिंग, बुकिंग, अनुबंध, बातचीत, सूचना का आदान–प्रदान, रिकॉर्ड रखने और अन्य जुड़ी गतिविधियां, कंप्यूटर नेटवर्क/इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती हैं;

(च च च च)**''निर्यात''** से अभिप्रेत है कृषि उपज, जिसमें पशुधन भी शामिल है, का भारत से बाहर भेजा जाना;''

(पांच) खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(झ झ) कृषि उपज के संबंध में **"विपणन"** से अभिप्रेत है कृषि उपज के प्रवाह में समाहित समस्त गतिविधियां, जिसमें उत्पादन स्थल पर फसल कटाई के स्तर से प्रारंभ होकर उसके अंतिम उपभोक्ता तक पहुॅचना शामिल हैं यथा श्रेणीकरण, प्रसंस्करण, भण्डारण, परिवहन, वितरण की प्रणालियां और इस प्रक्रिया में शामिल अन्य सभी कार्य;

(झ झ झ) **"व्यक्ति"** में शामिल है व्यक्तिगत, एक सहकारी संस्था, हिंदू संयुक्त परिवार, एक कंपनी या फर्म या कोई संगठन या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं;"

(छः) खण्ड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(त त) **"विक्रेता"** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो तय मूल्य पर पशुधन सहित कृषि उपज को विक्रय करता है या विक्रय के लिए सहमत होता है;

(त त त) **"केता"** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो स्वयं या किसी व्यक्ति या अभिकर्ता की ओर से मंडी में पशुधन सहित कृषि उपज क्रय करता है या क्रय करने हेतु सहमत होता है;

(त त त त) **"थोक तदर्थ केता"** में शामिल है इस अधिनियम की धारा 33–ख के अन्तर्गत पंजीकृत केता;"

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (2) के परन्तुक में, शब्द "प्रबंध संचालक" के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये। **धारा 7 का संशोधन.**

4. मूल अधिनियम की धारा 11–ख की उप–धारा (2) के खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:– **धारा 11–ख का संशोधन.**

"(घ) उसने पिछले एक वर्ष में कम से कम एक बार या पिछले पांच वर्षों में कम से कम पांच बार अपनी कृषि उपज, मंडी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली मूल मंडी प्रागंण या किसी एक उपमंडी प्रागंण या एक प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में विक्रय की हो।"

5. मूल अधिनियम की धारा 12 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये। **धारा 12 का संशोधन.**

6. मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:– **नवीन धारा 13–क, 13–ख, 13–ग का जोड़ा जाना.**

"**13–क. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव.**–(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव उप–धारा (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाये गये सम्मिलन में लाया जा सकता है और यदि ऐसा प्रस्ताव, समिति के कुल सदस्यों के बहुमत एवं उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रह जायेंगे।

(2) उप–धारा (1) के प्रयोजन के लिए, मंडी समिति का सम्मिलन, विहित रीति में समिति के कुल सदस्यों की एक तिहाई अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने की तिथि से तीस दिवस के भीतर बुलाया जायेगा। मंडी समिति का कोई भी पदेन सदस्य, अविश्वास प्रस्ताव की सूचना नहीं देगा। पदेन सदस्य को लाये गये 'अविश्वास प्रस्ताव' पर वोट देने का शक्ति भी नहीं होगी।

(3) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेंगे, किन्तु ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता, ऐसे अधिकारी द्वारा की जायेगी जिसे कलेक्टर इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे। तथापि, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, को बोलने एवं अन्यथा सम्मिलन की प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार होगा।

(4) यदि उपरोक्तानुसार अविश्वास प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनती है तो ऐसी सम्मिलन के दिनांक से छः माह की अवधि की समाप्ति तक उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास व्यक्त करने वाली किसी पश्चातवर्ती प्रस्ताव का नोटिस नहीं दिया जायेगा।

13–ख. **अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अवकाश तथा अवकाश के बिना, अनुपस्थिति का परिणाम.**– (1) इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला प्रत्येक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो संचालक से अवकाश लिये बिना, समिति की निरंतर तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है, ऐसी तारीख, जिस पर ऐसी तीसरी बैठक आयोजित की जाती है, से अध्यक्ष नहीं रह जाएगा।

(2) उप–धारा (1) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक उपाध्यक्ष, जो अध्यक्ष से अवकाश लिये बिना, समिति की निरंतर तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है, ऐसी तारीख, जिस पर ऐसी तीसरी बैठक आयोजित की जाती है, से उपाध्यक्ष नहीं रह जाएगा।

(3) उप–धारा (1) या (2) के अधीन मंडी समिति की निरंतर छः बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब कभी भी अत्यधिक आवश्यकता होने पर, विहित रूप में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को ऐसा अवकाश दिया जाता है तो मंडी समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में दायित्वों और कार्यों के निवर्हन के लिये मण्डी समिति, ऐसे पात्र सदस्यों का चुनाव करेगी, जैसा कि विहित किया जाये।

13–ग. नये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कार्यभार सौंपने से इन्कार. – (1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, का चुनाव होने पर बहिर्गामी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कार्यालय में अपने उत्तराधिकारी को अपने पद का कार्यभार तत्काल सौंपना होगा।

(2) यदि बहिर्गामी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उप–धारा (1) के अधीन अपने पद का कार्यभार सौंपने में विफल रहता है या इंकार करता है तो संचालक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, बहिर्गामी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, को लिखित में आदेश द्वारा उसके पद का कार्यभार मण्डी समिति के समस्त अभिलेख,

कोष एवं संपत्ति सहित जो उसके कब्जे में हो, सौंपने का तत्काल निर्देश दे सकता है।

(3) यदि बहिर्गामी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जिनको उप–धारा (2) के अधीन निर्देश जारी किया गया हो, ऐसे निर्देश का पालन नहीं करता है तो संचालक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि डिक्री के निष्पादन के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन व्यवहार न्यायालय में निहित है।"

धारा 17 का संशोधन

7\. मूल अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (3) में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।

नवीन धारा 18–क का जोड़ा जाना.

8\. मूल अधिनियम की धारा 18 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"18–क. मंडी समितियों द्वारा किया गया कार्य अविधिमान्य नहीं, –

मण्डी समिति या उसकी किसी उप समिति या उसके किसी भी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या सचिव के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति के किसी कार्य को, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि ऐसी मंडी समिति, उप समिति, सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन प्राधिकारी या सचिव के गठन या नियुक्ति में कुछ त्रुटि है अथवा इस आधार पर कि उन्हें या उनमें से किसी को ऐसे पद के लिए अयोग्य करार दिया गया था अथवा यह कि मंडी समिति या उपसमिति की किसी बैठक के आशय की

औपचारिक नोटिस सम्यक् रूप से न दिया गया हो अथवा इस कारण से कि ऐसा कृत्य ऐसी समिति या उपसमिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव या सदस्य के पद में किसी रिक्ति की अवधि के दौरान किया गया है अथवा ऐसी अन्य किसी अनौपचारिकता के लिए, जो मामले के गुण दोष को प्रभावित न करती हो।''

नवीन धारा 19–ग का जोड़ा जाना.

9. मूल अधिनियम की धारा 19–ख के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''19–ग. मंडी समिति द्वारा उपयोग शुल्क का उद्ग्रहण.–

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मण्डी समिति, पशुधन सहित कृषि उपज की उन वस्तुओं के व्यापार की भी अनुमति दे सकती है जो अधिनियम के अधीन विनियमन हेतु अधिसूचित नहीं है अथवा अधिनियम की अनुसूची में विनियमन हेतु विनिर्दिष्ट नहीं है।

(2) मंडी समिति, उप–धारा (1) के अधीन यथा उपबंधित उप–विधियों में विहित अनुसार, व्यापार की अनुमति देने के लिए उपयोग शुल्क संग्रहित कर सकती है जो अंतरित किए गए अनाशवान कृषि उपज की दशा में मूल्यानुसार दो प्रतिशत से अधिक नही होगा एवं नाशवान कृषि उपज तथा पशुधन की दशा में मूल्यानुसार एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।''

धारा 20 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 20 में,

(1) उप–नियम (1) में, शब्द ''राज्य सरकार या बोर्ड'' के पश्चात्, शब्द ''या संचालक'' अन्तःस्थापित किया जाये।

(2) उप–नियम (2) में, शब्द ''बोर्ड'' के पश्चात्, शब्द ''या संचालक'' अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 21 का संशोधन.

11. मूल अधिनियम की धारा 21 में, –

(1) उप–धारा (3) में, शब्द "राज्य सरकार या बोर्ड" के पश्चात्, शब्द "या संचालक" अन्तःस्थापित किया जाये, तथा

(2) उप–धारा (5) में, शब्द "राज्य सरकार या बोर्ड" के पश्चात्, शब्द "या संचालक" अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 23 का संशोधन.

12. मूल अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (1) के खण्ड (एक) में, जहां कहीं भी शब्द "बोर्ड" आया हो के पश्चात्, शब्द "या संचालक" अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 24 का संशोधन.

13. मूल अधिनियम की धारा 24 में, शब्द "प्रबंध संचालक" के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 25–क का संशोधन.

14. मूल अधिनियम की धारा 25–क में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक " प्रतिस्थापित किया जाये।

नवीन धारा 27–क का जोड़ा जाना.

15. मूल अधिनियम की धारा 27 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

27–क. सचिव की शक्तियां, कार्य एवं कर्तव्य.– सचिव, इस अधिनियम, नियम या उप–विधि में यथा विनिर्दिष्ट अन्य कर्तव्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :–

(एक) मंडी समिति और उप–समिति, यदि कोई है, की बैठक बुलाना तथा उसकी कार्यवाही विवरण संधारित करना;

(दो) मंडी समिति और प्रत्येक उप–समिति की बैठकों में उपस्थित होना तथा चर्चा में भाग लेना, किन्तु वह ऐसी किसी भी बैठक में कोई मत नहीं देगा;

(तीन) मंडी समिति और उप–समिति के प्रस्तावों को प्रभावशील करने के लिये कार्यवाही करना और ऐसे प्रस्तावों के अनुसरण में की गई सभी कार्यवाहियों के बारे में यथासंभव शीघ्र, समिति को रिपोर्ट करना;

(चार) बजट प्रस्ताव तैयार करना;

(पांच) मंडी समिति को ऐसी रिटर्न, कथन, अनुमानक, सांख्यिकी और रिपोर्ट उपलब्ध कराना, जैसा कि मंडी समिति समय–समय पर अपेक्षा करे, जिसमें निम्नलिखित के संबंध में रिपोर्ट सम्मिलित है,–

(क) किसी भी स्टाफ के सदस्यों और मंडी कृत्यकारियों एवं अन्य के विरूद्ध की गई किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही पर उद्ग्रहित जुर्माने एवं दण्ड;

(ख) किसी व्यापारी द्वारा अत्यधिक कारोबार;

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम, नियमों और उप–विधियों के प्रावधानों तथा स्थायी आदेशों के उल्लंघन;

(घ) अध्यक्ष या संचालक द्वारा लाइसेंस के निलम्बन या रद्दकरण; और

(ङ) मंडी समिति के प्रशासन और मुख्य मंडी प्रांगण, उप–मंडी प्रांगण में विपणन के विनियमन।

(छः) जब कभी भी मंडी समिति द्वारा इस प्रकार मांग की जाए, ऐसे दस्तावेज, किताबें, पंजी और इस तरह के अन्य कागजात मंडी समिति के समक्ष रखना, जैसा कि मंडी समिति और उप–समिति के कारोबार के संचालन

के लिये आवश्यक हो;

(सात) मंडी समिति के सभी अधिकारियों और सेवकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना और उनका नियंत्रण रखना;

(आठ) मंडी समिति को देय शुल्क/उपयोग शुल्क और उसके द्वारा उद्ग्रहणीय अन्य धनराशि को संग्रहित करना;

(नौ) मंडी समिति को प्राप्त या उसकी ओर से प्राप्त की गई सभी धनराशि के लिए जिम्मेदार होना;

(दस) मंडी समिति द्वारा वैधानिक रूप से देय सभी धनराशियों का वितरण करना;

(ग्यारह) मंडी समिति निधि या सम्पत्ति की धोखाधड़ी, गबन, चोरी या नुकसान के संबंध में यथासंभव शीघ्र अध्यक्ष और संचालक को रिपोर्ट करना;

(बारह) मंडी समिति की ओर से प्रारंभ किये जाने वाले अभियोजन के संबंध में शिकायत प्रस्तुत करना एवं मंडी समिति की ओर से सिविल या अपराधिक कार्यवाहियां संस्थित करना।

धारा 30 का संशोधन.

16. मूल अधिनियम की धारा 30 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 32 का संशोधन.

17. मूल अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) में, शब्द "प्रबंध संचालक" के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 33 का संशोधन.

18. मूल अधिनियम की धारा 33 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।

नवीन धारा 33-ख का जोड़ा जाना.

19. मूल अधिनियम की धारा 33-क के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"33–ख. थोक तदर्थ केता का पंजीयन .–

(1) कोई भी व्यक्ति, जो मंडी प्रागंण/उपमंडी प्रागंण से अपने स्वयं के उपभोग के लिए दिन प्रतिदिन के आधार पर, वैधानिक लाइसेंस के बिना, थोक खरीद्दारी की इच्छा रखता है, संबंधित मंडी में, ऐसे प्ररुप में एवं ऐसी रीति में पंजीयन करा सकता है, जैसा कि विहित किया जाये,–

(क) ऐसा केता, पंजीयन कराते समय अथवा बाद में किंतु कय से पूर्व, कय का मंडी प्रागंण/उपमंडी प्रागंण एवं दिवस बताएगा;

(ख) इस प्रकार कय किए जाने की दशा में, क्रेता, मंडी समिति को लागू दर पर मंडी शुल्क का भुगतान करने हेतु दायी होगा :

परन्तु संबंधित मंडी प्रागंण/उपमंडी प्रागंण में इस तरह की थोक खरीदी, एक माह में तीन से अधिक बार नहीं की जा सकेगी।"

20. मूल अधिनियम की धारा 34 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 34 का संशोधन.

21. मूल अधिनियम की धारा 34–क की उप–धारा (4) में, शब्द "प्रबंध संचालक, बोर्ड के अनुमोदन उपरांत" के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 34–क का संशोधन.

22. मूल अधिनियम की धारा 34–क के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

नवीन धारा 34–ख का जोड़ा जाना.

"34–ख. अन्तर्राज्यीय व्यापार के संव्यवहार के संबंध में विवादों का निपटारा.– ई–प्लेटफार्म या ऐसे किसी अन्य प्लेटफार्म पर अंतर्राज्यीय व्यापार संव्यवहार में किसी विवाद के उत्पन्न की दशा में, राज्य सरकार, ऐसे प्राधिकरण की सदस्यता ले सकेगी, जो विद्यमान

विधि या इस उद्देश्य से बनाये जाने वाली किसी विधि के अधीन केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित की जाए।"

धारा 37—क का संशोधन.

23. मूल अधिनियम की धारा 37—क की उप—धारा (4) में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 39 का संशोधन.

24. मूल अधिनियम की धारा 39 के खण्ड (आठ) के खण्ड (छ) में, शब्द "प्रबंध संचालक" के स्थान पर, शब्द "संचालक " प्रतिस्थापित किया जाये।

नवीन धारा 42—च, 42—छ का जोड़ा जाना.

25. मूल अधिनियम की धारा 42—ङ के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"**42—च. प्रबंध संचालक के कर्तव्य एवं शक्तियॉ.**— (एक) विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्यपालक प्रशासन, संबंधित लेखों और रिकार्डों और कर्मचारियों की सेवा से संबंधित सभी प्रश्नों के निपटान के मामलों में, बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण करना;

(दो) बोर्ड द्वारा विहित निर्देश और प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करना;

(तीन) कार्य की स्वीकृत मदों पर विपणन विकास निधि से व्यय करना;

(चार) आपातकालीन स्थिति में, किसी कार्य के निष्पादन या रोके जाने एवं ऐसे किसी कार्य को करने का निर्देश देना, जिसके लिए बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक है;

(पांच) बोर्ड का वार्षिक बजट तैयार करना;

(छः) बोर्ड के आंतरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था करना;

(सात) बोर्ड की बैठकों के लिए व्यवस्था करना और विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड की बैठकों की कार्यवाहियों के रिकार्डों का अनुरक्षण करना;

(आठ) बोर्ड के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए ऐसे उपाय करना, जैसा कि आवश्यक समझे;

(नौ) मंडी समिति द्वारा अपने स्वयं की निधि अथवा ऋण और/या बोर्ड अथवा अन्य किसी एजेंसी द्वारा प्रदत्त अनुदानों से किये गये निर्माण कार्य का निरीक्षण करना और सुधारात्मक उपाय करना;

(दस) ऐसे उपाय करना, जो कि बोर्ड के कार्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझा जाए।

42–छ. **बोर्ड के कार्यों का संचालन.–** (1) बोर्ड, प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर अपने कार्य के निष्पादन के लिए बैठक करेगा, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाये।

(2) उप–धारा (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्याय–4 के प्रावधान, बोर्ड के कार्य संचालन के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(3) बोर्ड की सभी कार्यवाहियां अध्यक्ष, सदस्य सचिव/प्रबंध संचालक के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित होंगी और बोर्ड द्वारा जारी अन्य सभी आदेश तथा अन्य दस्तावेज अध्यक्ष, सदस्य सचिव/प्रबंध संचालक अथवा बोर्ड के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जैसा कि बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाए, अभिप्रमाणित होंगे।

(4) बोर्ड, नियम के अंतर्गत विहित रीति में कार्य संचालन करेगा।"

धारा 43 का संशोधन.

26. मूल अधिनियम की धारा 43 की उप–धारा (1) में, शब्द "पचास प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "चालीस प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाये।

नवीन अध्याय 8–क का जोड़ा जाना.

27. मूल अधिनियम के अध्याय–8 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"अध्याय 8–क

47–क. संचालक, कृषि विपणन की नियुक्ति.– सरकार, इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत संचालक, कृषि विपणन की शक्तियों के प्रयोग या कार्यों के निष्पादन के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी ।

47–ख. संचालक, कृषि विपणन की शक्तियाँ और कार्य.– (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, संचालक, बोर्ड के प्रबंध संचालक के लिए विहित शक्तियों एवं कार्यों के अतिरिक्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कार्यों का निष्पादन कर सकेगा, जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होगा।

(2) विशिष्टतः एवं धारा 52 की उप–धारा (2) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संचालक के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हो सकेंगे –

(एक) निजी मंडी प्रागंण, किसान उपभोक्ता मंडी प्रागंण,

निजी उपमंडी प्रांगण, इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म तथा डायरेक्ट मार्केटिंग की स्थापना एवं/या संचालन के लिए व्यक्ति को दिये गये लाइसेंस की स्वीकृति/नवीनीकरण तथा निलंबन या निरस्तीकरण;

(दो) एकीकृत एकल ट्रेडिंग लायसेंस की स्वीकृति/नवीनीकरण एवं निलंबन या निरस्तीकरण;

(तीन)मुख्य मंडी प्रागंण, उपमंडी प्रागंण में पशुधन सहित कृषि उपज के संव्यवहार के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रभावी कियान्वयन के लिए मंडी समितियों पर पर्यवेक्षण;

(चार) मंडी समिति द्वारा इस अधिनियम और नियमों द्वारा निर्मित उप–विधि का अनुमोदन;

(पांच) मंडी समिति और बोर्ड के खातों की लेखा–परीक्षा करने के लिए व्यक्तियों या संगठन का चयन करना;

(छः) इस अधिनियम की धारा 25–क के अनुसार, मंडी समिति के बजट की स्वीकृति/अनुमोदन;

(सात) मंडी समिति के अधिकारियों एवं स्टाफ के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति;

(आठ) मंडी समिति का चुनाव समय–सीमा में एवं समुचित आयोजन के लिए और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए उपाय करना;

(नौ) मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के त्यागपत्र की स्वीकृति;

(दस) निजी मंडी प्रागंण, किसान उपभोक्ता मंडी प्रागंण, निजी उपमंडी प्रागंण, उपमंडी प्रांगण, इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म एवं डायरेक्ट मार्केटिंग के अनुज्ञप्तिधारी और सिंगल युनिफाईड लायसेंस के धारक के लिए विवाद निपटान प्राधिकार के रूप में कार्य करना;

(ग्यारह) मंडी समिति के आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना;

(बारह) ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाये, मंडी समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटाना; तथा

(तेरह) आवश्यक होने पर मंडी समिति के लेखाओं और कार्यकलापों का निरीक्षण करना या करवाना ।

47–ग. **चक्रीय विपणन विकास निधि.** – (1) संचालक, पृथक से एक "चक्रीय विपणन विकास निधि" संधारित करेगा, जिसके खाते में निजी मंडी प्रागंण, निजी उपमंडी प्रागंण के अनुज्ञप्तिधारियों से अंशदान के रूप में एवं मंडी समितियों सहित ऐसे अन्य अंशदान से प्राप्त राशि होगी।

(2) प्रत्येक मंडी समिति, लाइसेंस शुल्क तथा मंडी शुल्क से प्राप्त आय की 10 प्रतिशत से अनधिक राशि, जैसा कि विहित की जाये, संचालक द्वारा संधारित "चक्रीय विपणन विकास निधि" में अंशदान करेगी।

(3) संचालक, उप–धारा (1) के अधीन इस प्रकार संधारित

निधि को सामान्य विपणन अधोसंरचनाओं के विकास, कौशल विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान, बंधक वित्त पोषण एवं ऐसी अन्य गतिविधियों में व्यय करेगा, जो राज्य में एक कुशल विपणन प्रणाली बनाने में सहायक होगा।

(4) संचालक, कृषि विपणन के अधिकारियों एवं सेवकों के वेतन तथा अन्य परिलाभ का भुगतान चक्रीय विपणन विकास निधि से किया जायेगा।

47–घ. संचालक, कृषि विपणन का कार्यालय और कर्मचारी.– संचालक, ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन एवं ऐसे कार्यों का निष्पादन, जैसा कि इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के अधीन समनुदेशित हो, करने के लिए, ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा कि विहित किया जाए।''

28. मूल अधिनियम की धारा 50 की उप–धारा (2) में, शब्द ''प्रबंध संचालक'' के स्थान पर, शब्द ''संचालक '' प्रतिस्थापित किया जाये। **धारा 50 का संशोधन.**

29. मूल अधिनियम की धारा 53 की उप–धारा (1) में, शब्द ''पाँच हजार'' के स्थान पर, शब्द ''दस हजार'' प्रतिस्थापित किया जाये। **धारा 53 का संशोधन.**

30. मूल अधिनियम की धारा 54 में, जहां कहीं भी शब्द ''प्रबंध संचालक'' आया हो के स्थान पर, शब्द ''संचालक'' प्रतिस्थापित किया जाये। **धारा 54 का संशोधन.**

31. मूल अधिनियम की धारा 55 में, जहां कहीं भी शब्द ''प्रबंध संचालक'' आया हो के स्थान पर, शब्द ''संचालक'' प्रतिस्थापित किया जाये। **धारा 55 का संशोधन.**

धारा 56 का संशोधन.	32.	मूल अधिनियम की धारा 56 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
धारा 57 का संशोधन.	33.	मूल अधिनियम की धारा 57 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
धारा 58 का संशोधन.	34.	मूल अधिनियम की धारा 58 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
धारा 59 का संशोधन.	35.	मूल अधिनियम की धारा 59 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।
नवीन धारा 59—क एवं 59—ख का जोड़ा जाना.	36.	मूल अधिनियम की धारा 59 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"59—क. **मंडी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव या आदेश के कियान्वयन या अग्रेतर कियान्वयन को रोकने की संचालक की शक्ति.**— (1) संचालक, स्वप्रेरणा से अथवा किसी प्राप्त रिपोर्ट अथवा प्राप्त शिकायत पर, आदेश द्वारा, मंडी समिति अथवा उसके अध्यक्ष अथवा इसके किसी अधिकारी या सेवकों द्वारा पारित संकल्प या दिये गये आदेश के कियान्वयन अथवा अग्रेतर कियान्वयन पर रोक लगा सकता है, यदि उसकी राय है कि ऐसा संकल्प अथवा आदेश जनहित के विरूद्ध है अथवा किसी मंडी प्रागंण या उप—मंडी प्रागंण में कार्यों के दक्षतापूर्ण संचालन में बाधक होना संभाव्य है अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा इसके अंतर्गत बनाए गये नियमों या उप—विधियों के विरूद्ध है।

(2) जहां प्रस्ताव अथवा आदेश के क्रियान्वयन अथवा अग्रेतर क्रियान्वयन पर, उप–धारा (1) के अधीन जारी आदेश द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है और ऐसा प्रतिबंध निरंतर जारी रहता है, तो संचालक द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर, मंडी समिति का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी कार्यवाही करे, जैसा करने के लिए वह उस स्थिति में सक्षम होती, जब प्रस्ताव या आदेश कभी पारित नहीं किये गये अथवा नहीं दिये गये होते और जो कि अध्यक्ष या उसके किसी अधिकारी या सेवक को उस प्रस्ताव या आदेश के अंतर्गत किसी कार्य को करने या जारी रखने से रोके जाने हेतु आवश्यक है।

59–ख. सूचना और सहायता देने हेतु स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य.– प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह स्थानीय प्राधिकारी की सीमा के अंदर या बाहर अधिसूचित कृषि उपज के परिवहन से संबंधित ऐसी सभी आवश्यक जानकारी निशुल्क दे, जो मंडी समिति के अधिकारियों अथवा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारियों के कब्जे में या नियंत्रण के अधीन हो।"

37. मूल अधिनियम की धारा 61 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये। **धारा 61 का संशोधन.**

38. मूल अधिनियम की धारा 63 के परन्तुक में, शब्द "प्रबंध संचालक" के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये। **धारा 63 का संशोधन.**

धारा 64 का संशोधन.

39. मूल अधिनियम की धारा 64 में, शब्द "बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा अन्य सेवक" के पश्चात्, शब्द "एवं संचालक" अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 65 का संशोधन.

40. मूल अधिनियम की धारा 65 में, –

(1) उप–धारा (1) में, शब्द "प्रबंध संचालक" के पश्चात्, शब्द "या संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) उप–धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(2–क) संचालक, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उनको प्रदत्त किन्हीं भी शक्तियों को किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।"

(3) उप–धारा (3) में, शब्द "प्रबंध संचालक" के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 66 का संशोधन.

41. मूल अधिनियम की धारा 66 में,–

(1) जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के पश्चात्, शब्द "या संचालक" अन्तःस्थापित किया जाये।

(2) शब्द "या बोर्ड या किसी मंडी समिति के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध" के स्थान पर, शब्द "या बोर्ड या संचालक या किसी मंडी समिति के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध" प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 67 का संशोधन.

42. मूल अधिनियम की धारा 67 में, शब्द "बोर्ड" के पश्चात्, शब्द "या संचालक" अन्तःस्थापित किया जाये।

43. मूल अधिनियम की धारा 81 में, जहां कहीं भी शब्द "प्रबंध संचालक" आया हो के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये। **धारा 81 का संशोधन.**

44. मूल अधिनियम की धारा 82 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:– **नवीन धारा 82–क का जोड़ा जाना.**

"**82–क. कठिनाई दूर करने की शक्ति.**– यदि इस संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, इस अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, आवश्यकतानुसार, ऐसे आदेश के द्वारा, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, ऐसा कार्य कर सकेगी, जो कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन से उसे आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हो।

परन्तु यह कि कोई भी ऐसा आदेश, उस तिथि, जिस पर यह संशोधन अधिनियम प्रवर्तन में आएगा, से तीन वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।"

उद्देश्य और कारणों का कथन

यतः, राज्य सरकार का दृष्टिकोण है कि अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के विनियमन के लिए संचालक, कृषि विपणन होना चाहिए तथा संचालक और प्रबंध संचालक के बीच शक्तियों, कार्यों का स्पष्ट सीमांकन हो तथा मंडी समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान हो तथा इस अधिनियम के क्रियान्वयन में उद्भूत कठिनाईयों को दूर करने के लिए प्रावधान हो।

अतएव्, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र 24 सन्1973) में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

बृजमोहन अग्रवाल
कृषि मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर,
दिनांक 29 जून,2018

उपाबंध

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (कमांक 24 सन् 1973) की धारा 2, 7 की उपधारा (2) के परन्तुक, 11–ख की उपधारा (2) के खण्ड (ग), 12, 13, 17 की उपधारा (3), 18, 19–ख, 20 की उपधारा (1) एवं (2), 21 की उपधारा (3) एवं (5), 23 की उपधारा (1) के खण्ड (एक), 24, 25–क, 27, 30, 32 की उपधारा (2), 33, 33–क, 34, 34–क की उपधारा (4), 37–क की उपधारा (4), 39 के खण्ड (आठ) के उपखण्ड (छ), 42–ङ, 43 की उपधारा (1), अध्याय 8, 47, 50 की उपधारा (2), 53 की उपधारा (1), 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65 की उपधारा (1), (2) एवं (3), 66, 67, 81 तथा 82 के संबंध में सुसंगत उद्धरण

धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड

(खख) –**"परिवार"** से अभिप्रेत है व्यक्ति तथा उसका/उसकी पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो एवं उसके बच्चें, पिता, माता, बहन एवं भाई, जो उस पर आश्रित हो तथा उसके साथ निवास कर रहे हों;

(ग) **"बोर्ड"** से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड;

(घघ) **"कलेक्टर"** से अभिप्रेत है जिले का कलेक्टर और उसके अंतर्गत अपर कलेक्टर आता है।

(च) **"प्रबंध संचालक"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन नियुक्त छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रबंध संचालक और वह आयुक्त, मण्डी, छत्तीसगढ़ भी होगा;

(झ) **"मण्डी समिति"** से अभिप्रेत है धारा 11 के अधीन गठित की गई समिति ;

(त) **"व्यापारी"** से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यापारी जो अपने कारबार के प्रशामान्य अनुकम में किसी अधिसूचित कृषि–उपज का कय या विकय करता है और उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जो कृषि–उपज के प्रसंस्करण में लगा हो किन्तु उसके अन्तर्गत इस उपधारा के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित कृषक नहीं है।

धारा 7 की उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक

परन्तु कोई भी स्थावर सम्पति प्रबंध संचालक की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना विकय के द्वारा, पट्टे के द्वारा या अन्यथा अर्जित या अंतरित नहीं की जाएगी।

धारा 11–ख की उपधारा (2) के खण्ड (ग)

(ग) वह इस प्रकार निर्वाचित किए जाने के लिए अन्यथा निरर्हित नहीं किया गया है ;

धारा 12

12. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन –

(1) अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा उन व्यक्तियों द्वारा जो कृषकों और व्यापारियों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मत देने के लिए अर्हित है, विहित रीति में चुना जाएगा ;

परन्तु कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह धारा 11–ख की उपधारा (2) और (3) के अधीन निर्वाचित किए जाने के लिए अर्हित न हो।

(2) अध्यक्ष के पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखे जाएगें और इस प्रकार आरक्षित पदों की संख्या का अनुपात राज्य में ऐसे पदों की कुल संख्या के साथ यथाशक्य वही होगा जो कि राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे पद प्रबंध संचालक द्वारा मण्डी समितियों के लिए विहित रीति में आवंटित किए जाएगें।

(3) अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान उन मण्डी समितियों को, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं है प्रबंध संचालक द्वारा विहित रीति में आबंटित किए जाएंगे।

(4) उपधारा (2) तथा (3) के अधीन आरक्षित किए गये अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(5) राज्य में अध्यक्ष पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे पद प्रबंध संचालक द्वारा भिन्न भिन्न मण्डी समितियों के लिए विहित रीति में आबंटित किए जाएंगे।

(6) कोई भी व्यक्ति एक साथ अध्यक्ष और सदस्य के पद के लिए निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) यदि कोई मण्डी क्षेत्र, अध्यक्ष का निर्वाचन करने में असफल रहता है तो उस पद को भरने के लिए नई निर्वाचन कार्यवाहियॉ छह मास के भीतर प्रारंभ की जाएंगी:

परंतु मण्डी समिति के गठन की आगे और कार्यवाही अध्यक्ष का निर्वाचन लंबित रहने के दौरान नहीं रोकी जाएगी :

परंतु यह और भी इस उपधारा के अधीन अध्यक्ष का निर्वाचन लम्बित रहने के दौरान उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के समस्त कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(8) मण्डी समिति का एक उपाध्यक्ष होगा जो धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन बुलाए गये मण्डी समिति के प्रथम सम्मिलन में मण्डी समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा उन्हीं में से विहित रीति में निर्वाचित किया जाएगा ;

परंतु यदि मण्डी समिति का अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का नहीं है तो उपाध्यक्ष ऐसी जातियों या जनजातियों या वर्गों के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा ;

परंतु यह और भी कि कोई भी व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह कृषक न हो।

(9) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रत्येक निर्वाचन कलेक्टर द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

धारा 13

13. प्रथम सम्मिलन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की पदावधि, उनके द्वारा त्याग–पत्र और उनके पद में रिक्ति.–

(1) मण्डी समिति का प्रथम सम्मिलन अध्यक्ष और सदस्यों के निर्वाचन के परिणामों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर कलेक्टर द्वारा बुलाया जाएगा।

(2) मण्डी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य मण्डी समिति के प्रथम सम्मिलन की तारीख से पॉच वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे ;

परन्तु यदि मण्डी समिति की अवधि का अवसान हो जाने पर, नई मण्डी समिति का गठन नहीं किया जाता तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा मण्डी समिति की अवधि में वृद्धि ऐसे अवसान होने की तारीख से, ऐसी वृद्धि के कारणों को लेखबद्ध करते हुए छः माह की कालावधि के लिए दो बार में अर्थात् एक वर्ष की कालावधि के लिए कर सकेगी और यदि नई मण्डी समिति का गठन इस बढ़ाई गई अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो, यह समझा जायेगा कि यह विघटित हो गई है, और ऐसी दशा में धारा 57 के उपबंध लागू होंगे।

(3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य किसी भी समय कलेक्टर को लिखित में संबोधित करके अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग–पत्र कलेक्टर द्वारा उसके स्वीकार किये जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

(4) कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी नगरपालिक निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत, पंचायत या किसी सहकारी सोसायटी के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या उपाध्यक्ष (वाईस चेयरपर्सन) के रूप में निर्वाचित है, यदि वह मण्डी समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो जाता है, या इसके विपरित निर्वाचित अर्थात् मण्डी समिति में निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उक्त निकायों का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाता हो, तो वह लिखित में एक सूचना द्वारा, जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और जो विहित प्राधिकारी को ऐसी तारीख के या ऐसी तारीखों में से पश्चातवर्ती तारीख के, जिसको कि वह उस रूप में से निर्वाचित हुआ है, तीस दिन के भीतर परिदत्त की जाएगी, यह प्रज्ञापित करेगा कि वह किस पद को धारण करना चाहता है और तदुपरि ऐसे अन्य निकाय में, जहॉ पद धारण नहीं करना चाहता है, वहां उसका स्थान रिक्त हो जाएगा और पूर्व कालावधि के भीतर ऐसी प्रज्ञापना देने में व्यक्तिक्रम करने पर, उस कालावधि के समाप्त होने पर, मण्डी समिति में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

(5) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य की पदावधि का अवसान होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने, उसके द्वारा त्याग–पत्र दिए जाने या उसको हटाये जाने या उपधारा (4) के अधीन रिक्ति हो जाने या अन्यथा उसका पद रिक्त हो जाने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है और ऐसी रिक्ति इस अधिनियम के तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन द्वारा छह मास के भीतर भरी जाएगी और इस प्रकार निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती की अवधि के अनवसित भाग के लिए पद धारण करेगा;

परंतु यदि ऐसे पद की शेष कालावधि छह मास से कम है तो ऐसी रिक्त नहीं भरी जाएगी।

(6) अध्यक्ष की मृत्यु हो जाने, उसके द्वारा त्याग–पत्र दिये जाने या उसको हटा दिये जाने या अन्यथा अध्यक्ष के पद में रिक्ति हो जाने की दशा में उपाध्यक्ष और यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो, तो इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन निर्वाचित मण्डी समिति का ऐसा सदस्य, जिसे कलेक्टर नियुक्त करे, अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों का पालन तब तक करेगा जब तक कि अध्यक्ष समयक् रूप से निर्वाचित नहीं हो जाता।

धारा 17

उपधारा (3) प्रबंध संचालक की पूर्व मंजूरी से, मण्डी समिति, अपने विवेकानुसार निम्नलिखित कर्तव्यों का भार अपने ऊपर ले सकेगी –

(एक) इस हेतु से कि कृषि उपज के परिवहन तथा भण्डारकरण में सुविधा हो या इस प्रयोजन से कि मण्डी प्रागंण का विकास हो, मण्डी क्षेत्र में सड़कों या गोदामों के सन्निर्माण के लिए बोर्ड या राज्य सरकार को लोक निर्माण विभाग या किसी अन्य विभाग या उपकम को या प्रबंध संचालक द्वारा प्राधिकृत किए गये किसी अन्य अभिकरण को अनुदान देना या अग्रिम निधि देना ;

(दो) विकय हेतु उर्वरक, नाशक–जीवमार (पेस्टीसाइड्स), कीटनाशक (इन्सेक्टिसाईड्स), उन्नत–बीज, कृषि संबंधी उपस्करों और आधानों (इनपुट्स) का स्टॉक बनाए रखना।

(तीन) कृषकों को, कृषि–उपज का स्टॉक रखने के लिए (भण्डारकरण सुविधाएँ) भाटक पर देने की व्यवस्था करना।

(चार) उन गौशालाओं के, जिन्हें कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई हो, अनुरक्षण के लिये अनुदान देना।

धारा 18

18. उप–समितियों की नियुक्ति और शक्तियों का प्रत्यायोजन. – ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जायें, मण्डी समिति, अपने कर्तव्यों या कृत्यों में से किसी भी कर्तव्य या कृत्य के पालन या किसी विषय पर रिपोर्ट देने या राय देने के लिए उप–समितियाँ नियुक्त कर सकेगी जिसमें उसका एक या एक से अधिक सदस्य होंगे और उनमें से किसी भी ऐसी उप–समिति की अपनी शक्तियों में से ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेगी जैसी कि आवश्यक हों।

धारा 19–ख

19–ख. मण्डी फीस के भुगतान में व्यतिकम–(1) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन मण्डी फीस का भुगतान करने के लिए दायी है, उसका भुगतान मण्डी समिति को अधिसूचित कृषि उपज के कय करने के या उसे प्रसंस्करण के लिए मण्डी क्षेत्र में आयात करने के चौदह दिन के भीतर करेगा और उसमें व्यतिकम होने पर वह मण्डी फीस तथा उसके साथ उस पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन मण्डी फीस तथा ब्याज का भुगतान एक मास के भीतर करने में असफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति की उस मण्डी क्षेत्र में या किसी अन्य मण्डी क्षेत्र में आगे का संव्यवहार करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और ब्याज सहित मण्डी फीस भू–राजस्व की बकाया की भाँति वसूल की जाएगी और ऐसे व्यक्ति की पंजीयन रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगी।

धारा 20

20. लेखे पेश करने हेतु आदेश देने की शक्ति और प्रवेश, निरीक्षण तथा अभिग्रहण की शक्तियाँ.–

(1) मंडी समिति का सचिव या राज्य सरकार या बोर्ड का कोई भी अधिकारी या सेवक, जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से, जो किसी भी किस्म की अधिसूचित कृषि–उपज का कारोबार करता हो, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके समक्ष ऐसे लेखे तथा अन्य दस्तावेजें पेश करे और कोई ऐसी जानकारी दे जो ऐसी कृषि उपज के

स्टॉक या ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी कृषि उपज के क्रय, विक्रय तथा परिदान से संबंधित हो, तथा कोई ऐसी अन्य जानकारी भी दे जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा मण्डी–फीस के संदाय से संबंधित हो।

(2) किसी अधिसूचित कृषि उपज के कारबार के मामूली अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा बनाये रखे गये समस्त लेखे तथा रजिस्टर और ऐसी कृषि उपज के स्टॉकों से संबंधित या ऐसी कृषि उपज के क्रयों, विक्रयों तथा परिदानों से संबंधित दस्तावेजों, जो उसके कब्जे में हो और ऐसे व्यक्ति के कार्यालय, स्थापनाएं, गोदाम, जलयान या गाड़ियॉ बोर्ड या मण्डी समिति के ऐसे अधिकारियों या सेवकों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये जायें, निरीक्षित की जाने/किये जाने के लिए समस्त युक्तियुक्त समयों पर खुली रहेंगी/खुले रहेंगे।

(3) यदि किसी ऐसे अधिकारी या सेवक के पास यह सन्देह करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति धारा 19 के अधीन अपने द्वारा शोध्य किसी मण्डी–फीस के भुगतान का अपवंचन करने का प्रयत्न कर रहा है या यह कि किसी व्यक्ति ने मण्डी–क्षेत्र में प्रवृत्त इस अधिनियम या नियमों के या उपविधियों के किन्हीं भी उपबन्धों के उल्लंघन में किसी अधिसूचित कृषि–उपज का क्रय किया है, तो वह लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों ऐसे व्यक्ति के ऐसे लेखे, रजिस्टर या दस्तावेजें, जैसे कि आवश्यक हों, अभिग्रहित कर सकेगा तथा उनके लिए एक रसीद देगा और उन्हें तब तक रखे रहेगा जब तक कि वे उनकी परीक्षा के लिए या अभियोजन के लिए आवश्यक हो।

(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए ऐसा अधिकारी या सेवक किसी भी कारबार के स्थान, भाण्डागार, कार्यालय, स्थापना, गोदाम जलयान या गाड़ी में जिसके कि संबंध में ऐसे अधिकारी या सेवक के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उनमें ऐसा व्यक्ति अपने कारबार के लेखे, रजिस्टर या दस्तावेजें या अपने कारबार से संबंध रखने वाले अधिसूचित कृषि–उपज के स्टॉक रखता है या तत्समय रखे हैं, प्रवेश कर सकेगा या तलाशी ले सकेगा।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (क्रमांक 5 सन् 1898) की उपधारा 102 तथा 103 के उपबन्ध, यथाशक्य उपधारा (4) अधीन तलाशी को लागू होंगे।

(6) जहॉ कोई लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें किसी स्थान से अभिग्रहित की जायें और उनमें ऐसी प्रविष्टियॉ हों जो परिणाम, भावों (कुटेशन्स), दरों, धन की प्राप्ति या भुगतान या माल के विक्रय या क्रय के प्रति निर्देश करती हों, वहॉ ऐसी लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें, उन्हें साबित करने के लिए साक्षी के उपसंजात हुए बिना ही, साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और ऐसी प्रविष्टियॉ उन मामलों में, संव्यवहारों तथा लेखाओं की, जिनका कि उनमें अभिलिखित होना तात्पर्यित है, प्रथम दृष्टया साक्ष्य होंगी।

धारा 21

उपधारा (3) राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई अधिकारी अपनी स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार को दिए गये आवेदन पर, उस विवरण को, जो सचिव के द्वारा सत्यापित किया गया है, सत्यापन की तारीख से चार वर्ष की कालावधि के भीतर पुनः सत्यापित कर सकेगा और ऐसा अधिकारी इस प्रयोजन के लिए धारा 20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा।

उपधारा (5) राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा सशक्त किये गये अधिकारी द्वारा किया गया पुनः सत्यापन या पुनः निर्धारण अन्तिम होगा।

धारा 23

मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) बोर्ड के किसी ऐसे अधिकारी या सेवक द्वारा, जिसे बोर्ड द्वारा किसी मण्डी–क्षेत्र में, इस निमित सशक्त किया गया हो; या

धारा 24

24.उधार लेने की शक्ति. – कोई मण्डी समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित धन प्रबंध संचालक की पूर्व मंजूरी से बोर्ड से या किसी बैंक से या किसी अन्य लोक वित्तीय संस्था से उधार ले सकेगी और धारा 38 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात इस प्रकार उधार लिये गये धन को लागू नहीं होगी।

धारा 25–क

25–क. बजट तैयार किया जाना तथा मंजूर किया जाना.– (1) प्रबंध संचालक, मण्डी समितियों को ऐसे मानकों पर जैसे कि विहित किया जाएँ, या तो क, ख, ग, या घ प्रवर्ग में वर्गीकृत करेगा। समस्त मंडी समितियॉं आगामी वर्ष के लिए, आय तथा व्यय का अपना बजट, बोर्ड द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल के पूर्व तैयार करेंगी एवं उसे पारित करेंगी :

परन्तु "क" तथा "ख" प्रवर्ग के रूप में वर्गीकृत मण्डी समितियों का बजट प्रबंध संचालक द्वारा पारित किया जायेगा।

(2) यदि मंजूर किये गये बजट में किसी मद पर व्यय करने के लिए कोई प्रावधान न हो तो जब तक कि किसी अन्य शीर्ष की बचत में से पुनर्विनियोग द्वारा उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती हो, उस पद पर किसी मण्डी समिति द्वारा कोई भी व्यय उपगत नहीं किया जायेगा।

(3) मण्डी समिति उस वर्ष के दौरान, जिसके कि लिए कोई बजट मंजूर किया जा चुका हो, किसी भी समय, पुनरीक्षित या पूरक बजट उसी रीति में पारित करवा सकेगी तथा मंजूर करवा सकेगी मानों कि वह मूल बजट हो।

(4) मण्डी समिति उपधारा (6) में निर्दिष्ट स्थायी निधि से भिन्न अपनी निधि में से सन्निर्माण संकर्मों की मंजूरी दे सकेगी और ऐसे कार्य का निष्पादन मण्डी समिति द्वारा अनुमोदित नक्शे तथा डिजाइन के आधार पर ऐसी रीति में करा सकेगी, जैसी बोर्ड द्वारा विहित की जाए।

(5) सन्निर्माण संकर्मों के निष्पादन के लिए बोर्ड या राज्य सरकार के किसी ऐसे विभाग को या उपक्रम को, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जाए, सौंपा जा सकेगा।

(6) मण्डी समिति, अपनी सकल प्राप्तियों के, जिनमें पंजीयन फीस और मण्डी फीस समाविष्ट है, बीस प्रतिशत की दर से रकम स्थायी निधि में जमा करने हेतु प्रावधान अपने बजट में करेगी। स्थायी निधि में से कोई भी व्यय, प्रबंध संचालक के पूर्व अनुमोदन से या उसके द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुसार ही उपगत किया जाएगा अन्यथा नहीं। इस निधि में से या धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन यथा उपबन्धित अधिशेष रकम में से कोई भी व्यय धारा 38 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट बजट में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा।

धारा 27

27. सचिव और अन्य अधिकारी,–

(1) प्रत्येक मण्डी समिति में एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी होंगे जो राज्य मण्डी बोर्ड के सदस्य होंगे;

परन्तु एक से अधिक मण्डी समितियों के लिए किसी एक अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी।

(2) सचिव, मण्डी समिति का प्रधान कार्यपालन अधिकारी होगा और उस मण्डी समिति में पदस्थ समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी उसके अधीनस्थ होंगे।

(3) सचिव, मण्डी समिति के प्रति जबावदार होगा और मण्डी समिति के नियंत्रण के अधीन होगा।

धारा 30

30.कर्मचारी वृन्द की नियुक्ति –

(1) प्रत्येक मंडी समिति ऐसे अन्य अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति कर सकेगी जो कि उसके कर्तव्यों की दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक तथा उचित हो :

परंतु किसी भी पद का सृजन प्रबंध संचालक की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जायेगा।

(2) मंडी समिति उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति, वेतन छुट्टी, छुट्टी भत्ते, पेंशन, उपदान भविष्य निधि में अभिदाय तथा अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए तथा उनकों शक्तियॉं, कर्तव्य एवं कृत्य प्रत्यायोजित करने के लिए उपलब्ध करने के हेतु उपविधियॉं बना सकेगी।

(3) इस अधिनियम में या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रबंध संचालक, उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, किसी मण्डी समिति के किसी भी ऐसे अधिकारी या सेवक को, जिसका अधिकतम वेतनमान छह सौ रूपये से अधिक हो, उस राजस्व संभाग की किसी अन्य मण्डी समिति में प्रति नियुक्ति पर स्थानान्तरित कर सकेगा और प्रबंध संचालक के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह इस उपधारा के अधीन प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण का आदेश पारित करने के पूर्व संबंधित मण्डी समिति से या अधिकारी या सेवक से परामर्श करें।

(4) उपधारा (3) के अधीन स्थानान्तरित किया गया संबंधित अधिकारी या सेवक, –

(क) मूल मंडी समिति में धारित पद पर अपना धारणाधिकार रखेगा ;

(ख) ऐसे वेतन या भत्तों के संबंध में, जिनके कि लिए वह मूल मंडी समिति में बने रहने की दशा में हकदार होगा, अलाभकारी स्थिति में नहीं रखा जाएगा;

(ग) ऐसी दर पर प्रतिनियुक्ति भत्त पाने का हकदार होगा जैसी कि प्रबंध संचालक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करें ; और

(घ) ऐसे अन्य निबन्धनों और शर्तों द्वारा, जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक नियंत्रण भी है, शासित होगा जैसी कि प्रबंध संचालक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करें।

धारा 32 की उपधारा (2)

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ ऐसी फीस संलग्न की जायेगी जैसी कि प्रबंध संचालक, विहित की गई सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, इस संबंध में विनिर्दिष्ट करें।

धारा 33

33. पंजीयन रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति.– (1) उपधारा (4) के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए मण्डी समिति, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी पंजीयन को निलंबित या रद्द कर सकेगी –

(क) यदि पंजीयन जानबूझकर दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा प्राप्त की गई हो ; या

(ख) यदि उस पंजीयन का धारक या कोई सेवक या उसकी (पंजीयन धारक की) अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति पंजीयन के निबंधनों या शर्तों में से किसी भी निबंधन या शर्त का भंग करता है ; या

(ग) यदि पंजीयन का धारक अन्य पंजीयन–धारकों के साथ मिलकर अधिसूचित कृषि–उपज के विपणन को मण्डी प्रांगण/प्रांगणों में जानबूझकर वाधित करने, निलंबित करने या रोकने के आशय से मण्डी–क्षेत्र में कोई कार्य करे या अपना प्रसामान्य कारबार चलाने से प्रविरत रहे और जिसके परिणामस्वरूप किसी उपज का विपणन बाधित हो गया हो, निलंबित हो गया हो या रूक गया हो;

(घ) यदि पंजीयन का धारक दिवालिया हो गया हो ;

(ङ) यदि पंजीयन का धारक कोई ऐसी निरर्हता, जैसी कि विहित की जाये, उपगत कर ले ; या

(च) यदि पंजीयन का धारक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाये।

(2) उपधारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यक्ष, किसी पंजीयन को, किसी ऐसे कारण से, जिस कारण से कि कोई मण्डी समिति किसी पंजीयन को उपधारा (1) के अधीन निलंबित कर सकती हो, एक मास से अनधिक कालावधि के लिए, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, निलंबित कर सकेगा ;

परन्तु ऐसा आदेश उसके किये जाने की तारीख से सात दिन की कालावधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेगा यदि ऐसे अवसान के पूर्व उस आदेश की पुष्टि मण्डी समिति द्वारा नहीं कर दी गई हो।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए,किन्तु उपधारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, प्रबंध संचालक लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी भी पंजीयन को, जो कि मण्डी समिति द्वारा मंजूर की गई हो या नवीकृत की गई हो, आदेश द्वारा निलंबित या रद्द कर सकेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश मण्डी समिति को सूचना दिये बिना, नहीं किया जायेगा।

(4) इस धारा के अधीन कोई पंजीयन तब तक निलंबित या रद्द नहीं की जायेगी, जब तक उसके धारक को ऐसे निलंबन या रद्दकरण के विरूद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

धारा 33–क

33–क. निजी मंडी प्रांगण/निजी उपमंडी प्रांगण तथा निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण के पंजीयन रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति –

(1) उप–धारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, बोर्ड, पंजीयन धारक को लिखित में कारणों को संसूचित करते हुए, पंजीयन को निलंबित या रद्द कर सकेगा –

(क) यदि पंजीयन जानबूझकर दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा प्राप्त की गई हो; या

(ख) यदि पंजीयन धारक या कोई सेवक या उसकी (पंजीयन धारक) अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, पंजीयन के निबंधनों या शर्तों में से किसी का उल्लघंन करता है; या

(ग) यदि पंजीयन धारक, अन्य पंजीयन धारकों के साथ सहयोजित होकर, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन को मण्डी प्रांगण/ उप–मंडी प्रांगण /विशेषवस्तु मंडी प्रांगण/किसान उपभोक्ता उप–मंडी प्रांगण में जानबूझकर बाधित करने, निलंबित करने या रोकने के आशय से, मंडी क्षेत्र में कोई कार्य करे या अपना सामान्य करोबार चलाने से प्रविरत रहे और जिसके परिणामस्वरूप किसी अधिसूचित कृषि उपज का विपणन बाधित, निलंबित हो गया हो या रूक गया हो ; या

(घ) यदि पंजीयन धारक, दिवालिया हो गया हो; या